न्यायालय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

प्र0क0– निगरानी/2016–17

R-60-PBR/17

विमल किशोर आ0 बालकिशन
आयु–व्यस्क निवासी–मेन रोड बाडी
भूमि स्वामी ग्राम कांसिया
तहसील बाडी जिला रायसेन म0प्र0। .... आवेदक

विरूद्ध

1– नन्ही बाई बेवा छगनलाल
आयु–व्यस्क निवासी–ग्राम सिरवारा
तहसील बाडी जिला रायसेन म0प्र0।

2– मन्नूलाल आ0 धीरज सिंह
आयु–व्यस्क निवासी–ग्राम कांसिया
तहसील बाडी जिला रायसेन म0प्र0। .... अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील बाडी जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण क्रमॉक–21/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनॉक–26–06–2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 60-पीबीआर/17 | जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-9-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित । उनके द्वारा धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील बाडी जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-6-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग चार माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलम्ब का कारण सीमांकन आदेश की जानकारी नहीं होना बताया है जो कि मानने योग्य नहीं है क्योंकि सीमांकन स्वयं आवेदक के आवेदन एवं उपस्थिति में हुआ है स्पष्ट है कि उसे सीमांकन की पूर्ण जानकारी थी । अत: आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरीबाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5--विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।" अत: उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह निगरानी समय बाह्य प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	